संख्या-100/2021/ई-1763124/71-03-2021-एन0एम0-02/2018

प्रेषक,

अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांक: 16 अगस्त, 2021**

विषयः- केन्द्र सहायतित योजना '' इस्टेब्लिशमेंट आफ न्यू मेडिकल कालेजेज अटैच्ड विद एक्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट/रेफरल हास्पिटल'' (फेज-2) के अन्तर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, गाजीपुर के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–एमई/बजट/2021-22/391, दिनांक 10.08.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, गाजीपुर के निर्माण कार्य हेतु अवशेष धनराशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

2- स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, गाजीपुर के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या-38/2018/906/71-3-2018-एन0एम0-2/2018, दिनांक 14.11.2018 द्वारा व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 22043.36 लाख (रू0 दो अरब बीस करोड तैंतालिस लाख छत्तीस हजार मात्र)+ जी0एस0टी0 (नियमानुसार देय) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी। प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु विभिन्न शासनादेशों द्वारा कुल रू0 165.00 करोड की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है, जिनका विवरण निम्नवत् है:-

क्रमांक	शासनादेश संख्या व दिनांक	धनराशि (रू0 करोड में)
1	संख्या-38/2018/906/71-3-2018-एन0एम0-02/2018,दिनांक 14.11.2018	50.00(केन्द्रांश)
2	संख्या-87/2019/1279/71-3-2019-एन0एम0-02/2018,दिनांक 16.11.2019	38.00(केन्द्रांश)
3	संख्या-57/2020/997/71-3-2020-एन0एम0-02/2018,दिनांक 24.09.2020	20.00(राज्यांश)
4	संख्या-90/2020/1436/71-3-2020-एन0एम0-02/2018,दिनांक 30.12.2020	20.00(केन्द्रांश)
5	संख्या-31/2021/304/71-3-2021-एन0एम0-02/2018,दिनांक 24.02.2021	37.00(केन्द्रांश)
		165.00

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, गाजीपुर के निर्माण कार्य की प्रायोजना हेतु उपर्युक्तानुसार अनुमोदित लागत के सापेक्ष रू0 23.85 करोड (रू0 तेइस करोड पच्चासी लाख मात्र) की धनराशि केन्द्रांश के रूप में निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते/डाकघर में नही रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त नही किया जाएगा अपितु आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

2. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.03.2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्थाओं को दो-दो माह की आवश्यकतानुसार धनराशि निर्गत की जाए। विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण दो-दो माह की आवश्यकता के अनुसार ही किया जाए। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरांत अगले दो माह के लिए पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाए।
4. योजना हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. शासनादेश संख्या-38/2018/906/71-3-2018-एन0एम0-2/2018, दिनांक 14.11.2018 में उल्लिखित अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

4- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या-031 के अधीन लेखाशीर्षक ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0107-मेडिकल कालेज, गाजीपुर (के060/रा040-के0+रा0)- 24-वृहद निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22-03-2021 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित अधिकारों के अधीन निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्याः-100/2021/ ई-1763124(1)/71-03-2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
3. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0 प्र0 लखनऊ।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, गाजीपुर।
6. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला अस्पताल, गाजीपुर।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, गोमती नगर, लखनऊ।
8. नियोजन अनुभाग-4
9. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा सें,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।